सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 10, बुधवार, शाके 1943-दिसम्बर 01, 2021 *Agrahayana 10, Wednesday , Saka 1943- December 01, 2021*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

कार्यालय नगर विकास न्यास , भरतपुर

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 26, 2021

संख्या 7927 :-रराजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम-4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)नविवि/3/66 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2013 द्वारा भरतपुर के नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2023 राज्य-सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

भरतपुर नगरीय क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान ''A,B,C,D,E,F'' तैयार कर सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाषन के पश्चात् न्यास बैठक दिनांक 28.10.2021 के द्वारा स्वीकृत किया गया। पूर्व में स्वीकृत मास्टर प्लान व स्वीकृत जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनुसार मास्टर प्लान में किये गए आंषिक संषोधन के संदर्भ में नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प.1(2)नविवि/3/66 पार्ट जयपुर दिनांक 18.11.2021 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा-7 के अनुसरण में यह नोटिस दिया गया है कि भरतपुर के नगरीय क्षेत्र हेतु अनुमोदित मास्टर प्लान 2023 में प्रस्तावित संषोधन का अनुमोदन किया गया है।

उक्त मास्टर प्लान में किये गये संषोधन का अवलोकन नगर विकास न्यास की वैबसाईट www.uitbharatpur.rajasthan.gov.in. व कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में अवलोकन किया जा सकता है।

के0के0 गोयल,

सचिव,

नगर विकास न्यास, भरतपुर।

कार्यालय नगर विकास न्यास , भरतपुर

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 26, 2021

संख्या 7928 :- राजस्थान नगर विकास न्यास (जोनल डवलपमेन्ट प्लान) नियम, 2021 के नियम-4 के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि भरतपुर नगरीय क्षेत्र के जोन ''A,B,C,D,E,F''को न्यास बैठक दिनांक 28.10.2021 के द्वारा स्वीकृत किया गया है। जोनल प्लान की प्रति नगर विकास न्यास, भरतपुर की वैबसाईट www.uitbharatpur.rajasthan.gov.in व कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में अवलोकन किया जा सकता है।

के0के0 गोयल,
सचिव,
नगर विकास न्यास, भरतपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।